



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267802
CG-DL-E-19112025-267802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5107]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947

No. 5107]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2025

का.आ. 5278(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ को 24.11.2025 से प्रभावी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

[फा.सं. ए-60011/44/2015-एलएपी (न्याय)/1]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department Of Justice)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2025

S.O. 5278(E).—In exercise of the powers conferred under Clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the President is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India, as Executive Chairman, National Legal Services Authority, with effect from 24.11.2025.

[F. No. A-60011/44/2015-LAP(JUS)/1]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.